कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) दमोह

कमांक 633/रीडर/2021 दमोह दिनांक 02.08.2021

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण
भोपाल बैंच, भोपाल

विषय :- शासकीय नालां पर अतिकमण किये जाने के संबध मे ।
संदर्भ:- याचिका कमांक 92/2020 (CZ)के आदेश दिनांक 25.06.2021 के संदर्भ में।

—————00—————

आवेदक अजय चौबे द्वारा माननीय अभिकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम चौपरा खुर्द स्थित सरहदी शासकीय नाला (करोंदा नाला) पर प्रतिवादी कमांक 3 सुशील गुप्ता एंव प्रतिवादी कमांक 4 राजेश अलबर्ट द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया गया है जिससे नाले से पानी निकासी में अवरोध हुआ है तथा नाले का पानी रूकेगा जिससे पर्यावरण को क्षति होगी।

संदर्भित पत्र के परिपालन में वादग्रस्त भूमि ग्राम चौपरा खुर्द खसरा नंबर 01 रकवा 2.582 हे0 का स्थल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय तहसीलदार नजूल दमोह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी दमोह, अनुविभागीय अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण मंडल दमोह नजूल अपरीक्षक, नजूल राजस्व निरीक्षकगण, हल्का पटवारी उपस्थित रहे। अभिलेख अनुसार स्थल का निरीक्षण किया गया। बिंदुवार प्रतिवेदन इस प्रकार है।

1. ग्राम चौपरा खुर्द स्थित शासकीय खसरा नंबर 01 रकवा 2.582 हे0 जो शासकीय नाला (करौंदा नाला) है का सीमांकन कराया गया जिसमें प्रतिवादी कमांक 3 का 200 वर्गफुट पर आंशिक भू-भाग पर अतिकमण पाया गया। जिसे पृथक करा दिया गया है। फोटो संलग्न है।
2. सीमांकन में प्रतिवादी कमांक 04 का भी गेट लगाकर अतिकमण पाया गया। जिसे पृथक करा दिया गया है।
3. म.प्र. गृह निर्माण मंडल दमोह द्वारा शासकीय नाला से लगी अपनी भूमि पर आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को प्लाट आवंटित किये गये थे। प्लाट के भू-स्वामियों द्वारा संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित क्षेत्रफल पर आवंटित प्लाट से अधिक क्षेत्रफल पर पक्के मकान एवं आंगन का निर्माण किया गया है। आवंटित भूमि से अधिक भूमि जिस पर अतिरिक्त निर्माण किया गया है वह गृह निर्माण मंडल की भूमि है। शासकीय नाले की भूमि नहीं है।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की ओर सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः- नजरी नक्शा एवं फोटोग्राफ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद दमोह

तहसीलदार
नजूल दमोह

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) दमोह

नजरी नक्शा

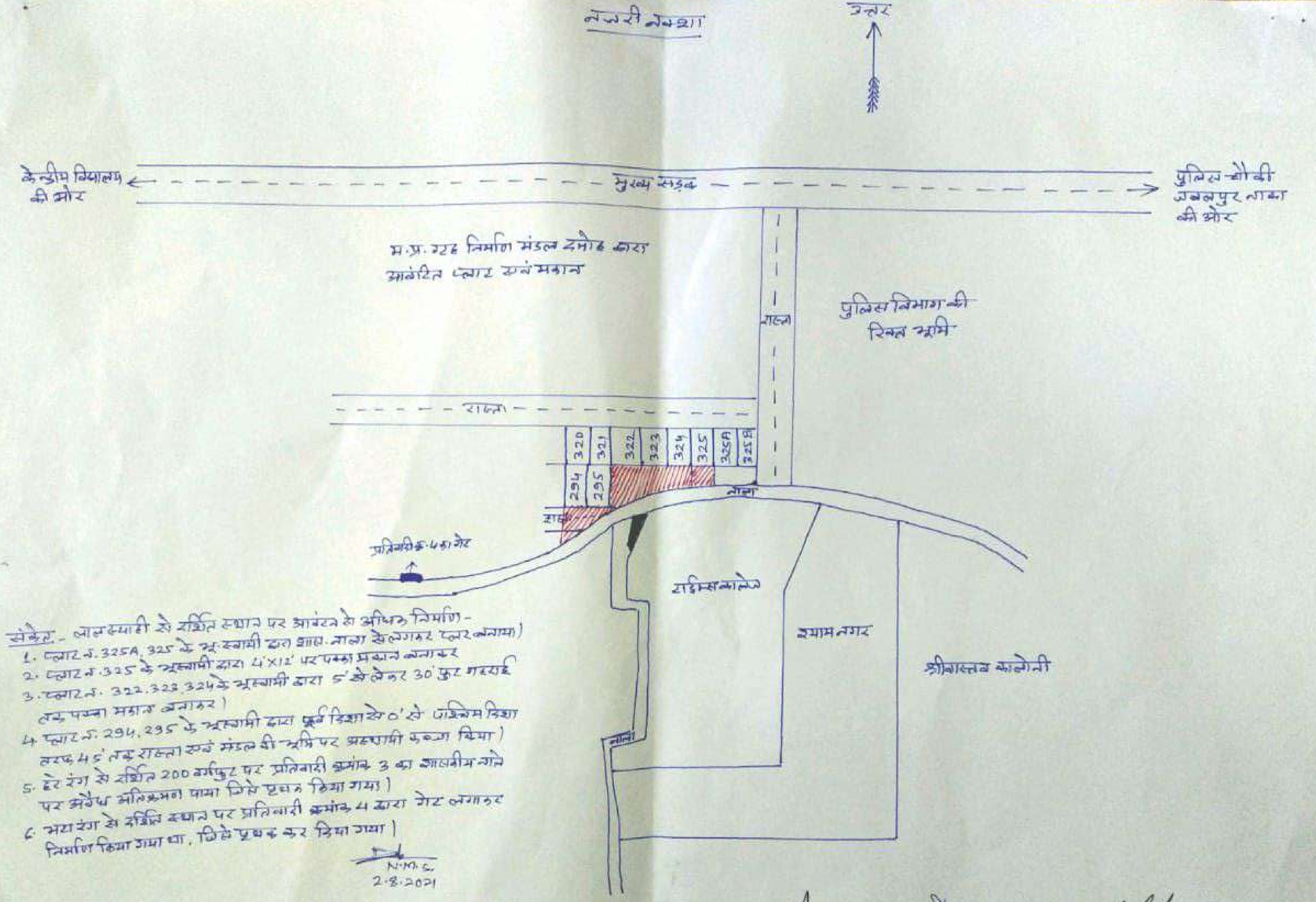

संकेत - लाल स्याही से दर्शित स्थान पर आवंटन से अधिक निर्माण -

1\. प्लाट नं. 325A, 325 के भू-स्वामी द्वारा शास. नाला से लगाकर प्लाट बनाया)

2\. प्लाट नं. 325 के भूस्वामी द्वारा 4'x12' पर पक्का मकान बनाकर

3\. प्लाट नं. 322, 323, 324 के भूस्वामी द्वारा 5' से लेकर 30' फुट गहराई तक पक्का मकान बनाकर।

4\. प्लाट नं. 294, 295 के भूस्वामी द्वारा पूर्व दिशा से 0' से पश्चिम दिशा तरफ 45' तक रास्ता एवं मंडल की भूमि पर अस्थायी कब्जा किया)

5\. हरे रंग से दर्शित 200 वर्गफुट पर प्रतिवादी क्रमांक 3 का शासकीय नाले पर अवैध अतिक्रमण पाया जिसे पृथक किया गया)

6\. भरा रंग से दर्शित स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा गेट लगाकर निर्माण किया गया था, जिसे पृथक कर दिया गया)

N.M.S.
2.8.2021

2/8/21

02/8/21
तहसीलदार
तहसील नगर दमोह

02/08/2021
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) दमोह

18-6-21 पूर्व की स्थिति

नाला

सीमांकन करते हुये

पूर्व की स्थिति

सीमांकन करते हुये

सीमांकन करते हुये

सीमांकन करते हुये

सीमांकन करते हुये

सीमांकन करते हुये

Latitude: 23.815042
Longitude: 79.43547
Elevation: 358.57 m
Accuracy: 6.5 m
Time: 18-06-2021 13:05
Powered by NoteCam

निरीक्षण

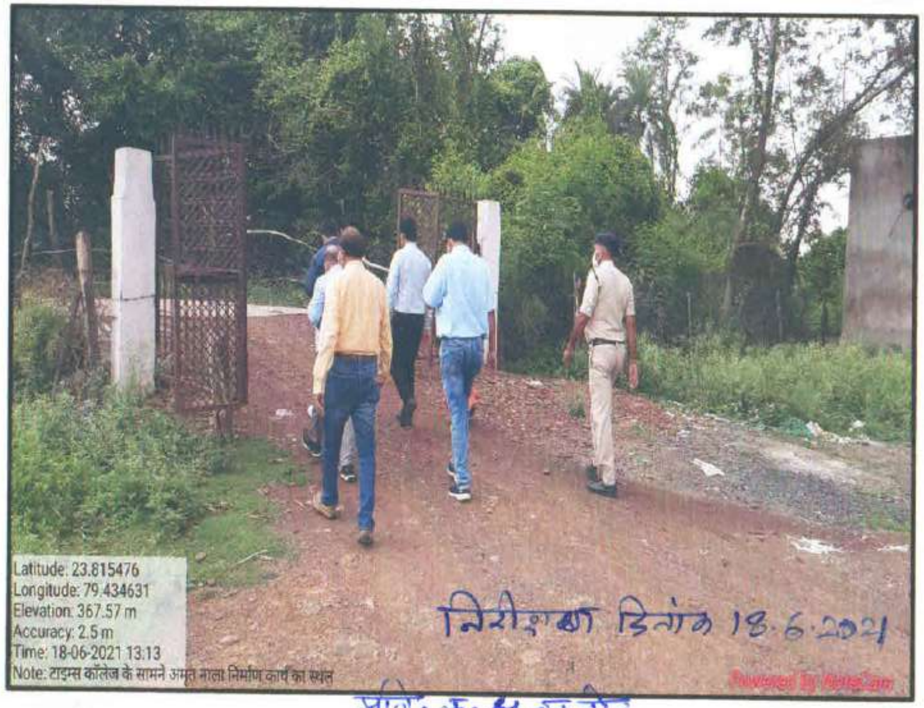
Latitude: 23.815476
Longitude: 79.434631
Elevation: 367.57 m
Accuracy: 2.5 m
Time: 18-06-2021 13:13
Note: टाइम्स कॉलेज के सामने अमृत नाला निर्माण कार्य का स्थल
निरीक्षण दिनांक 18.6.2021
Powered by NoteCam

निरीक्षण दिनांक 18.6.2021 (पूर्व की स्थिति)

अतिक्रमण हटाया गया